जन जागरूकता हेतु

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015/2018

एवं

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथा संशोधित नियम, 2016/2018

तथा

अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां

विशेष जाँच मुख्यालय

सिग्नेचर बिल्डिंग, टावर-तृतीय, छठा तल,
गोमती नगर विस्तार, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ - 226010

विशेष जाँच मुख्यालय की स्थापना एवं कार्य

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 08 मई, 1973 को पुलिस उप महानिरीक्षक (ऑन स्पेशल ड्यूटी अथवा ओ.एस.डी.) के एक अस्थायी पद के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जो विशेष जाँच मुख्यालय की स्थापना की ओर पहला चरण था। 28 दिसम्बर, 1974 को पुलिस उप महानिरीक्षक (ओ0एस0डी0) की अध्यक्षता में गठित सेल के उत्तरदायित्व का निर्धारण ''साम्प्रदायिक उपद्रव तथा हरिजनों एवं अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित घटनाओं की रोकथाम'' के रूप में किया गया। जैसा कि शासनादेश में अंकित है कि पुलिस उप महानिरीक्षक की अध्यक्षता में गठित सेल को अनुसंधान का कार्य न प्रदान कर मात्र एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी ही किये जाने का दायित्व प्रदान किया गया था। उपरोक्त सेल का गठन इसलिए किया गया था, ताकि तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश शासन को साम्प्रदायिकता तथा हरिजनों से सम्बन्धित अपराधों के सम्बन्ध में सही-सही जानकारी समय से प्राप्त हो जाय और जो कार्यवाही अपेक्षित हो उसे करवाने में सहायता प्राप्त हो। श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा 05 मई 1983 को विशेष जाँच प्रकोष्ठ (हरिजन सेल) में पुलिस महानिरीक्षक के एक अस्थायी पद को सृजित करने की स्वीकृति द्वारा प्रदान की गयी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 27 फरवरी, 1986 को मुख्यालय स्तर पर कार्यरत विशेष जाँच मुख्यालय के अन्तर्गत प्रदेश के 20 जनपदों में विशेष जाँच प्रकोष्ठ (हरिजन प्रकोष्ठ) का गठन किया गया, जिसके लिए स्टाफ का सृजन किया गया। स्टाफ का सृजन केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के क्रियान्वयन एवं संरक्षणार्थ किया गया, जिसमें होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। उपरोक्त हरिजन प्रकोष्ठों की स्थापना जनपद लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, सुलतानपुर, फतेहगढ़, इटावा, बॉदा, जालौन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, बदायूॅ, मेरठ, वाराणसी एवं आगरा में की गयी, जहां पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्य समस्याओं से काफी प्रभावित पाये गये थे। विशेष जाँच प्रकोष्ठ की इन फील्ड इकाइयों की स्थापना हेतु प्रत्येक जनपद में एक उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, एक मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस तथा 02 आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों के सृजन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। वर्तमान में प्रदेश के सभी जनपदों में विशेष जाँच प्रकोष्ठ कार्यरत हैं, जिनमें से 20 जनपदों में विशेष जाँच प्रकोष्ठ भारत सरकार की केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत स्थापित हैं, तथा शेष जनपदों में विशेष जाँच प्रकोष्ठ हेतु निरीक्षक/उप निरीक्षक/मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी जनपद पुलिस अधीक्षक के स्तर से उपलब्ध कराये जाते हैं।

21 अप्रैल, 1995 को उत्तर प्रदेश शासन के आदेश द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष जाँच, उ0प्र0, लखनऊ के नवसृजित पद पर नियुक्ति की गयी।

श्री राज्यपाल द्वारा 27 अगस्त, 2003 को अधिसूचना जारी की गयी कि राज्य मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक के भारसाधन के अधीन पहले से गठित विशेष जाँच प्रकोष्ठ को **''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ''** का अतिरिक्त कार्य प्रदान किया जाता है।

विशेष जाँच प्रकोष्ठ को **''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ''** का कार्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम-8 की उप धारा-1 के अधीन करते हुए इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अन्तर्गत वे क्षेत्र जहां राज्य सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वहां अत्याचार हो सकता है या अधिनियम के अधीन किसी अपराध के पुनः होने की आशंका है अथवा ऐसा क्षेत्र अत्याचार उन्मुख है को **''परिलक्षित क्षेत्र''** से परिभाषित किया गया है। नियम-8 के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक के भारसाधन में किया जाना प्रावधानित है जो निम्नलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा :-

(i) परिलक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण करना;

(ii) परिलक्षित क्षेत्र में लोक व्यवस्था प्रशांति बनाये रखना;

(iii) परिलक्षित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात करने के लिए या विशेष पुलिस चौकी की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(iv) अधिनियम के अधीन अपराध होने के सम्भावित कारणों के बारे में अन्वेषण करना;

(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना को लाना;

(vi) परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति के बारे में नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी को सूचित करना;

(viक) अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्ष्य के अधिकारों के कार्यान्वयन के बारे में नोडल अधिकारी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को सूचित करना;

(vii) विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये अन्वेषण और स्थल पर किये गये निरीक्षणों के बारे में पूछताछ करना;

(viii) नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन उन मामलों में, जहां पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उस थाने में रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्टि करने से इंकार किया, पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में पूछताछ करना;

(ix) किसी लोक सेवक द्वारा जानबूझकर की गयी उपेक्षा के बारे में पूछताछ करना;

(x) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति का पुनर्विलोकन करना;

(xi) उपर्युक्त के सम्बन्ध में राज्य सरकार/नोडल अधिकारी को की गयी/की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक पश्चवर्ती मास की 20 तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत करना।

वर्तमान में विशेष जाँच मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में 01 अपर पुलिस महानिदेशक, 01 पुलिस महानिरीक्षक, 01 पुलिस उप महानिरीक्षक, 01 पुलिस अधीक्षक, 01 अपर पुलिस अधीक्षक तथा 09 पुलिस उपाधीक्षक के पद स्वीकृत हैं जिनके द्वारा ''**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ**'' का कार्य एवं अन्य कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। लखनऊ स्थित विशेष जाँच प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश को '**विशेष जाँच मुख्यालय**' तथा मुख्यालय के अधीन जनपदों में स्थापित प्रकोष्ठों को जनपदीय विशेष जाँच प्रकोष्ठ के नाम से जाना जाता है। जनपदीय विशेष जाँच प्रकोष्ठों से मुख्यालय विशेष जाँच का समन्वयन जनपदों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकरणों के नोडल अधिकारी के माध्यम से किया जाता है, जो अपर पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस उपाधीक्षक स्तर के होते हैं।

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या : 3150/छः-पु0-1-07-98/95 दिनांक 18.07. 2007 के द्वारा उत्तर प्रदेश के जनपदों में थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षकों के पदों पर 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथासंशोधित अधिनियम, 2015 की अपेक्षानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 65 जनपदों में अनन्य विशेष न्यायालय तथा 09 जनपदों में विशेष न्यायालय की स्थापना कर दी गयी है।

विशेष जाँच मुख्यालय द्वारा पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश से 75 मोबाइल फोन नम्बर (सी.यू. जी. नम्बर) प्राप्त कर समस्त जनपदों को एक-एक स्थायी फोन नम्बर उपलब्ध करा दिया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु भारतीय संविधान में उपलब्ध विशेष प्रावधानों एवं संसद द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के संरक्षण हेतु बनाये गए विशेष अधिनियमों एवं नियमों का सम्यक अनुपालन कराना एवं अत्याचार पीड़ित सदस्यों को राहत एवं पुनर्वास पहुँचाना इस मुख्यालय का प्रमुख कार्य है, जिसे सम्यक रूप से सम्पादित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 की धारा-3 के अनुसार उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ जो इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करता है।

वर्ष 1978 में भारत सरकार द्वारा पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1987 में इसका नामकरण राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग हुआ। भारतीय संविधान के 65वें संशोधन से वर्ष 1990 में इसे विधिक मान्यता प्राप्त हुई एवं संशोधन के अन्तर्गत वर्ष 1992 में पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ। तदोपरान्त द्वितीय आयोग वर्ष 1995 में, तृतीय आयोग वर्ष 1998 में, चतुर्थ आयोग वर्ष 2002 में गठित हुआ। भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम, 2003 (प्रभावी 19-2-2004) के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग-अलग हिस्सों ''राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग'' तथा ''राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग'' में विभाजित कर दिया गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में संसद द्वारा इस निमित्त बनाई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्त और पदावधि ऐसी होगी, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा। आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालय हैं। रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को बिहार, झारखण्ड एवं उत्तर प्रदेश राज्यों का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली के अन्तर्गत राहत राशि देय होती है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2014 एवं उत्तर प्रदेश रानीलक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 के अन्तर्गत भी पीड़ितों को राहत राशि देय होती है। विभिन्न योजनाओं के होते हुए राहत राशि किस प्रकार प्रदान की जायेगी, इसके सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित एवं अन्य के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक विशेष जाँच, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिनांक 26.07.2018 को एक पत्र प्रेषित किया गया था। **जिन प्रकरणों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम से अधिक राहत राशि देय है उन प्रकरणों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत देय राहत राशि की रिपोर्ट पहले जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। तत्पश्चात शेष अतिरिक्त राहत राशि के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा।**

उदाहरणार्थ :- एसिड से हमले के प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत रूपया 8 लाख 25 हजार की अधिकतम राहत राशि प्रदान की जाती है। जबकि उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम देय राशि 10 लाख रूपये है। अतः शासनादेश के अनुसार उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के अन्तर्गत 10 लाख रूपये की अधिकतम देय राशि में से शेष धनराशि रू0 1 लाख 75 हजार के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा।

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र में यह भी अंकित है कि प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 1986/छः-पु0-9-15-31(90)/2010 दिनांक 10-7-2015 के माध्यम से बालकों का संरक्षण अधिनियम -2012 की धारा 4,6,9,11 व 14 के अधीन लैंगिक अपराधों के प्रकरण से अन्य श्रेणियों में भी क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है। पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार पंजीकृत मामलों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, तत्समय प्रवृत्त अन्य कानून/नियम अथवा किसी आयोग अथवा न्यायालय के आदेश

द्वारा प्रदत्त अंतरिम अथवा अन्तिम क्षतिपूर्ति इस नियमावली के अधीन देय क्षतिपूर्ति के साथ समायोजन योग्य होगी।

बहुधा देखा गया है कि सीवर सफाई के दौरान जिन कर्मियों की मृत्यु हो जाती हैं, वे अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य होते हैं जिनके सम्बन्ध में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रोजगार का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 अथवा **"The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013"** लागू होता है। इस सम्बन्ध में समुचित वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा 8 मार्च, 2016 को डीजी परिपत्र संख्या 16/2016 जारी किया गया था। परिपत्र में अभिलिखित है कि **"The employer shall ensure that the assigned person has life insurance policy of at least ten lakh rupees and the premium for which shall be paid by the employer ".**

इसी क्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-583/2003 में दिनांक-27-03-2014 को निर्णय पारित किया गया है, जिसके खण्ड- VII के पैरा-14 (ii) (a) में इंगित किया गया है कि :-

" Sewer deaths & entering sewer lines without safety gears should be made a crime even in emergency situations - For each such death compensation of Rs-10 lakhs should be givento the family of the deceased".

अपेक्षित है कि जिन प्रकरणों में यह अधिनियम लागू हो, अर्थात जहां सीवर मृत्यु से सम्बन्धित व्यक्ति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का हो, उन मामलों में सी.सी.टी.एन.एस. में उपलब्ध ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रोजगार का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013'' की समुचित धाराओं का समावेश अवश्य किया जाये, जिससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सीवर कर्मियों के परिवारों को राहत राशि प्रदान की जा सके।

वर्ष 1973 में स्थापना से लगभग 47 वर्षों के समय में वर्ष 2020 में विशेष जांच मुख्यालय, उत्तर प्रदेश एक अलग विभाग का दर्जा प्राप्त कर चुका है, पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी जिसके विभागाध्यक्ष हैं। भारतीय संविधान एवं उसके अधीन बनाये गये अधिनियमों एवं नियमावलियों का सम्यक अनुपालन एवं संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लक्ष्यों को उत्तर प्रदेश शासन के मार्गदर्शन में प्राप्त किया जाना इस विभाग का निरन्तर प्रयास है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

क्रमांक 33 सन् 1989

(11 सितम्बर, 1989)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए [1]{विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों} का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 संशोधन अधिनियम, 2015 एवं 2018 है।

(2) इसका विस्तार[2]{* * *}सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख[3] को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अत्याचार'' से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है;

(ख) ''संहिता'' से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है;

[4]{(खख) ''आश्रित'' से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण-पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित है ;

(खग) ''आर्थिक बहिष्कार'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(i) अन्य व्यक्ति से भाड़े पर कार्य से संबंधित संव्यवहार करने या कारबार करने से इंकार करना ; या

(ii) अवसरों का प्रत्याख्यान करना जिनमें सेवाओं तक पहुंच या प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने हेतु संविदाजन्य अवसर सम्मिलित है ; या

(iii) ऐसे निबंधनों पर कोई बात करने से इंकार करना जिन पर कोई बात, कारबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यतया की जाएगी ; या

(iv) ऐसे वृत्तिक या कारबार संबंधों से प्रतिविरत रहना, जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाएं ;

'भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या:11012/1/2002 पी0सी0आर0 डेस्क, दि0 18 जनवरी, 2016 के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 का संशोधन अधिनियम, संख्यांक 136) दिनांक 26 जनवरी, 2016 से प्रभावी।

1. संशोधन अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 2 द्वारा दिनांक 26.01.2016 से ''विशेष न्यायालयों'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 34 सन् 2019, अनुसूची 5, द्वारा दिनांक 31.10.2019 से ''जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय'' शब्दों का लोप किया गया।

3. अधिनियम दिनांक 30-1-90 से प्रवृत्ति हुआ। देखिये अधिसूचना क्र.का.आ. 106 (अ), दिनांक 29-1-90 भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग-2 खण्ड 3(ii), दिनांक 29-1-90 पृष्ठ 1 पर प्रकाशित।

4. संशोधन अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 3(i) द्वारा अंतःस्थापित।

(खघ) ''अनन्य विशेष न्यायालय'' से इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय अभिप्रेत है ;

(खङ) ''वन अधिकार'' का वह अर्थ होगा, जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 3 की उपधारा (1) में है ;

(खच) ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी'' का वह अर्थ होगा, जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (छ) में उसका है ;

(खछ) ''लोक सेवक'' से भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का45) की धारा 21 के अधीन यथापरिभाषित लोक सेवक और साथ ही तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक सेवक समझा गया कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और जिनमें, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन उसकी पदीय हैसियत में कार्यरत कोई व्यक्ति सम्मिलित है ;

(ग) ''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों'' के वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में हैं ;

(घ) ''विशेष न्यायालय'' से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है ;

(ङ) ''विशेष, लोक अभियोजक'' से विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है ;

[1]{(ङक) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से उपबाद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ङख) ''सामाजिक बहिष्कार'' से कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिये या उससे प्राप्त करने के लिए या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रतिविरत रहने के लिए, जो अन्य व्यक्ति से बनाए रखे जाएं या अन्य व्यक्तियों से उसको अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने के इंकार करना अभिप्रेत है ;

(ङग) ''पीड़ित'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति' की परिभाषा के भीतर आता है तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या धनीय हानि या उसकी संपत्ति को हानि वहन या अनुभव करता है और जिसके अंतर्गत उसके नातेदार विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी हैं ;

(ङघ) ''साक्षी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से अंतर्विलित किसी अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या कोई जानकारी रखता है या आवश्यक ज्ञान रखता है और जो ऐसे मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान जानकारी देने या कथन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकेगा और जिसमें ऐसे अपराध का पीड़ित सम्मिलित है;

[2]{(च) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और, यथास्थिति, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45), भारतीय साक्ष्य

---

1. संशोधन अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 3 (ii) द्वारा अंतःस्थापित।

2. संशोधन अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 3(iii) द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व खण्ड (च) निम्नवत था :–
''(च) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और संहिता या भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित है, वही अर्थ हैं जो, यथास्थिति, संहिता में या भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) में हैं।''

अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होना समझा जाएगा जो उन अधिनियमितियों में है।}

(2) इस अधिनियम में किसी अधिनियमित या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का अर्थ किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसमें ऐसी अधिनियमिति या ऐसा उपबंध प्रवृत्त नहीं हैं, यह लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है।

अध्याय 2

अत्याचार के अपराध

3. अत्याचार के अपराधों के लिए दंड - [1]{(1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,-

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा;

(ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखलकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश-द्वार पर मल-मूत्र, मल, पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा;

(ग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मल-मूत्र, कूड़ा, पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा;

(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्ध-नग्न घुमाएगा;

(ङ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे व्यक्ति के कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुण्डन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना, जो मानव गरिमा के विरूद्ध है ;

---

1. संशोधन अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 4 (i) द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपधारा (1) निम्नवत् थी :–

''(1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,–

(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा;

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मल–मूत्र, कूड़ा, पशु–शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से कार्य करेगा;

(iii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा या उसे नंगा या उसके चेहरे या शरीर को पोतकर घुमाएगा या इसी प्रकार का कोई अन्य ऐसा कार्य करेगा जो मानव के सम्मान के विरुद्ध है;

(iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसे आवंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आवंटित किये जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या उसे आवंटित भूमि को अंतरित करा लेगा;

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा;

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को 'बेगार' करने के लिये या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिये अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप प्रकार के बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिये विवश करेगा या फुसलाएगा;

(vii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिये या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिये मतदान करने के लिये या विधि द्वारा उपबन्धित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिये मजबूर या अभित्रस्त करेगा;

(viii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दाण्डिक या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करेगा;

(च) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आवंटित या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या ऐसी भूमि को अंतरित करा लेगा;

(छ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि या परसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा या उसकी फसल को नष्ट करेगा या उसके उत्पाद को ले जाएगा;

स्पष्टीकरण : खण्ड (च) और इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''सदोष'' पद में निम्नलिखित सम्मिलित है,–

(अ) व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध;

(आ) व्यक्ति की सहमति के बिना;

(इ) व्यक्ति की सहमति से, जहां ऐसी सहमति, व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके व्यक्ति हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति का भय दिखाकर, अभिप्राप्त की गई है; या

(ई) ऐसी भूमि के अभिलखों को बनाना;

(ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को 'बेगार' करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए तैयार करेगा;

(झ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु–शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा;

(ञ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए तैयार करेगा या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करेगा या नियोजन को अनुज्ञात करेगा;

(ट) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को, किसी देवदासी के रूप में पूजा, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी, मूर्ति या पात्र के समर्पण को या वैसी ही किसी अन्य प्रथा को निष्पादित या संवर्धन करेगा या पूर्वोक्त कार्यों को अनुज्ञात करेगा;

(ix) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ जानकारी देगा और उसके द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुंचाने या क्षुब्ध करने के लिये ऐसे लोक सेवक से उसकी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कराएगा;

(x) जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा;

(xi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करेगा;

(xii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिये, जिसके लिये वह अन्यथा सहमत नहीं होती, करेगा;

(xiii) किसी श्रोत, जलाशय या किसी अन्य उद्गम के जल को जो आम तौर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, दूषित या गंदा करेगा जिससे कि वह उस प्रयोजन के लिये कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिये उसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है;

(xiv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक अभिगम के स्थान के मार्ग के किसी रुढ़िजन्य अधिकार से वंचित करेगा या ऐसे सदस्य को बाधा पहुंचाएगा जिससे कि वह ऐसे सार्वजनिक अभिगम के स्थान का उपयोग करने या वहां पहुंचने से निवारित हो जाए जहां जनता के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग को उपयोग करने का या पहुंचने का अधिकार है;

(xv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या अन्य निवास–स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या कराएगा,

वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा।'' ।

(ठ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को, निम्नलिखित के लिए मजबूर या अभित्रस्त या निवारित करेगा–

(अ) मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभयर्थी के लिए मतदान करने या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने;

(आ) किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन फाइल न करने या ऐसे नामनिर्देशन को प्रत्याहृत करने; या

(इ) किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नामनिर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेंगे;

(ड) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को, जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9क के अधीन नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उसके सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में मजबूर या अभित्रस्त या बाधित करेगा;

(ढ) मतदान के पश्चात्, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उपहति या घोर उपहति या हमला करेगा या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करेगा या अधिरोपित करने की धमकी देगा या किसी ऐसी लोक सेवा के उपलब्ध फायदों से, निवारित करेगा, जो उसको प्राप्त हैं;

(ण) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा;

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करेगा;

(थ) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा जिससे ऐसा लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने या क्षुब्ध करने के लिए करेगा;

(द) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा;

(ध) लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली गलौज करेगा;

(न) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा सामान्यतया धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा;

स्पष्टीकरण :– इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, ''वस्तु'' पद से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मूर्ति, फोटो और रंगचित्र है;

(प) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरूद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं की या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या चिन्हों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा, अभिवृद्धि करेगा या अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा।

(फ) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करेगाः

(ब) (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को किसी स्त्री को साशय, यह जानते हुए स्पर्श करेगा कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जबकि स्पर्श करने का ऐसा कार्य, लैंगिक प्रकृति का है और प्राप्तिकर्ता की सहमति के बिना हैः

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री के बारे में, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं, लैंगिक प्रकृति के शब्दों, कार्यो या अंगविक्षेपों का उपयोग करेगा;

स्पष्टीकरण :- उपखंड (1) के प्रयोजनों के लिए, ''सहमति'' पद से कोई सुस्पष्ट स्वैच्छिक करार अभिप्रेत हैं, जब कोई व्यक्ति शब्दों, अंगविक्षेपों या अमौखिक संसूचना के किसी रूप में विनिर्दिष्ट कार्य में भागीदारी की रजामंदी को संसूचित करता हैः

परन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई स्त्री, जो लैंगिक प्रकृति के किसी कार्य में शारीरिक अवरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रियाकलाप में सहमति के रूप में नही माना जाएगा;

परन्तु यह और कि स्त्री का, अपराधी के साथ सहित, लैंगिक इतिहास, सहमति विवक्षित नही करता है या अपराध को कम नहीं करता है;

(भ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले किसी श्रोत, जलाशय या किसी अन्य श्रोत के जल को दूषित या गंदा करेगा जिससे वह ऐसे प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए वह साधारणता उपयोग किया जाता है;

(म) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इंकार करेगा या ऐसे सदस्य को लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने से निवारित करने के लिए बाधा पहुंचाएगा जिसमें जनता या उसके किसी अन्य वर्ग के सदस्यों को उपयोग करने और पहुंच रखने का अधिकार है;

(य) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसका गृह, ग्राम या निवास का अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या मजबूर करवाएगा;

परन्तु इस खंड की कोई बात किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी कार्रवाई को लागू नहीं होगी;

(यक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीति से बाधित या निवारित करेगा,-

(अ) किसी क्षेत्र के सम्मिलित संपत्ति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या श्मशान-भूमि का उपयोग करना या किसी नदी, सरिता, झरना, कुंआ, तालाब, कुंड, नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नान घाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सड़क या मार्ग का उपयोग करना;

(आ) साइकिल या मोटर साइकिल आरोहण या सवारी करना या सार्वजनिक स्थानों में जूते या नए कपड़े पहनना या विवाह की शोभा यात्रा निकालना या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या किसी अन्य यान पर आरोहण करना;

(इ) जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट करना या जाटरस सहित किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना या उसको निकालना;

(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या लोक मनोरंजन या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्ट होने या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत कोई उपकरण या वस्तुएं; या

(उ) किसी वृत्तिक में व्यवसाय करना या किसी ऐसी उपजीविका, व्यापार, कारबार या किसी नौकरी में नियोजन करना, जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार है;

(यख) जादू-टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा; या

(यग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसकी धमकी देगा,

वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है-

(i) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा; और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, मृत्यु दंड से दंडनीय होगा;

(ii) मिथ्या साक्ष्य देगा और गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किन्तु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा;

(iii) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय है;

(iv) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा।

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोंई अपराध [1]{(किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरूद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है), वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

[2]{(vक) अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरूद्ध, यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

1. संशोधन अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 4 (i) द्वारा ''किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरूद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है,'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. संशोधन अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 4 (ii) द्वारा अंतःस्थापित।

का सदस्य है या वह संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।,}

(vi) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किये जाने के किसी साक्ष्य को, अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा; या

(vii) लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।

[1]{**4. कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड-** (1) कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लोक सेवक के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,-

(क) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को, सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना;

(ख) इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना;

(ग) इस प्रकार अभिलिखित की गई सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत प्रदान करना;

(घ) पीड़ितों या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना;

(ङ) अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में साठ दिन की अवधि के भीतर आरोपपत्र फाइल करना तथा विलंब, यदि कोई हो, लिखित में स्पष्ट करना;

(च) किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख को सही रूप से तैयार, विरचित करना तथा उसका अनुवाद करना;

(छ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना;

परन्तु लोक सेवक के विरूद्ध इस संबंध में आरोप, प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर अभिलिखित किए जाएंगे।

(3) लोक सेवक द्वारा उपधारा (2) में निर्विष्ट कर्तव्य की अवहेलना के संबंध में संज्ञान विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिया जाएगा और लोक सेवक के विरूद्ध दांडिक कार्रवाइयों के लिए निदेश दिया जाएगा।

---

1. संशोधन अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापन से पूर्व धारा 4 निम्नवत थीः-

''**4. कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड-** कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।''।

5. पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित दंड – कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चात्वर्ती किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।

6. भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना – इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 34, अध्याय 3, अधिनियम के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।

7. कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समपहरण – (1) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है वहां विशेष न्यायालय, कोई दंड देने के अतिरिक्त, लिखित रूप में आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई सम्पत्ति, स्थावर या जंगम, या दोनों जिनका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है, सरकार को समपहृत हो जाएगी।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय ऐसा आदेश करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी सभी या कोई संपत्ति, स्थावर या जंगम या दोनों, ऐसे विचारण की अवधि के दौरान, कुर्क की जाएंगी और जहां ऐसे विचारण का परिणाम दोषसिद्धि है वहां इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति उस सीमा तक समपहरण के दायित्वाधीन होगी जहां तक वह इस अध्याय के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

8. अपराधों के बारे में उपधारणा – इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में, यदि यह साबित हो जाता है कि,–

(क) अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के [1]{अभियुक्त व्यक्ति द्वारा या युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में कोई वित्तीय सहायता की है} तो विशेष न्यायालय, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है;

(ख) व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है, और यदि यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल है तो यह उपधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था।

[1]{(ग) अभियुक्त, पीड़ित या उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जब तक अन्यथा साबित न हो, अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजातीय पहचान का ज्ञान था।,

9. शक्तियों का प्रदान किया जाना – (1) संहिता में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो वह–

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए, उससे निपटने के लिए, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, किसी जिले या उसके किसी भाग में, राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राजपत्र में

---

1. संशोधन अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 6 (i) द्वारा ''अभियुक्त व्यक्ति की या युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति की वित्तीय सहायता की है'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 6 (ii) द्वारा दिनांक 26.01.2016 से अंतःस्थापित।

अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिले या उसके भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां या, यथास्थिति, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग समूह के लिए, और विशिष्टतया किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण पर अभियोजन की शक्तियां प्रदान कर सकेगी।

(2) पुलिस के सभी अधिकारी और सरकार के अन्य सभी अधिकारी इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गए किसी नियम, स्कीम या आदेश के उपबंधों के निष्पादन में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी की सहायता करेंगे।

(3) संहिता के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में लागू होंगे।

अध्याय 3

निष्कासन

10. ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है - (1) जहां विशेष न्यायालय का, परिवाद की पुलिस रिपोर्ट पर, यह समाधान हो जाता है कि संभाव्यता है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 [1]{या धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (vii) के उपबंधों के अधीन पहचान किए गए किसी क्षेत्र, में यथानिर्दिष्ट 'अनुसूचित क्षेत्रों' या 'जनजाति क्षेत्रों' में सम्मिलित किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेगा वहां वह, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे, ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर हट जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाएं, और [2]{तीन वर्ष} से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उस क्षेत्र में जिससे हट जाने का उसे निदेश दिया गया था, वापस न लौटे।

(2) विशेष न्यायालय उपधारा (1) के अधीन आदेश के साथ उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति को वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है।

(3) विशेष न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरूद्ध ऐसा आदेश किया गया है, या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से तीन दिन के भीतर किये गये अभ्यावेदन पर ऐसे कारणो से जो लेखबद्ध किये जाएंगे उपधारा(1) के अधीन किये गये आदेश को प्रतिसंहृत या उपान्तरित कर सकेगा।

11. किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात् उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया - (1) यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र से हट जाने के लिये कोई निदेश जारी किया गया है–

(क) निदेश किये गये रूप में हटने में असफल रहता हैः या

(ख) इस प्रकार हटने के पश्चात् उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता है,

तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा।

(2) विशेष न्यायालय, लिखित आदेश द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरूद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, अनुज्ञा दे सकेगा कि वह उस क्षेत्र में जहां से हट जाने का उसे निदेश दिया गया था ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, लौट सकता है और अधिरोपित शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिये उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिभू सहित या उसके बिना, बन्धपत्र निष्पादित करे।

---

1. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 7(क) द्वारा अंतःस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 7(ख) द्वारा ''दो वर्ष'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(3) विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुज्ञा को प्रतिसंहृत कर सकेगा।

(4) ऐसा व्यक्ति, जो ऐसी अनुज्ञा से उस क्षेत्र में वापस आता है, जिससे उसे हटने के लिये निदेश दिया गया था, अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करेगा और जिस अस्थायी अवधि के लिये लौटने की उसे अनुज्ञा दी गई थी उसके अवसान पर या ऐसी अवधि के अवसान के पूर्व ऐसी अनुज्ञा के प्रतिसंहृत किए जाने पर ऐसे क्षेत्र के बाहर हट जाएगा और धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अनवसित भाग के भीतर नई अनुज्ञा के बिना वहां नहीं लौटेगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तों में से किसी का पालन करने में या तदनुसार स्वयं को हटाने में असफल रहेगा या इस प्रकार हट जाने के पश्चात् ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा या लौटेगा तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा से हटवा सकेगा।

12. ऐसे व्यक्तियों के, जिसके विरूद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, माप और फोटो आदि लेना - (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसके विरूद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर , किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप और फोटो लेने देगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने माप या फोटो लेने दे, इस प्रकार माप या फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है या उससे इंकार करता है, तो यह विधिपूर्ण होगा कि माप या फोटो लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक उपाय किए जाएं।

(3) उपधारा (2) के अधीन लिये जाने वाले माप या फोटो का प्रतिरोध या उससे इंकार करने को भारतीय दंण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 186 के अधीन अपराध समझा जाएगा।

(4) जहां धारा 10 के अधीन किया गया आदेश प्रतिसंहृत कर दिया जाता है वहां उपधारा (2)के अधीन लिये गये सभी माप और फोटो (जिसके अंतर्गत नेगेटिव भी हैं) नष्ट कर दिए जाएंगे या उस व्यक्ति को सौंप दिए जायेगे जिसके विरूद्ध आदेश किया गया था।

13. धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति - वह व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन किये गये विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

अध्याय 4

विशेष न्यायालय

[1]{**14. विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय -** (1) शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए,राज्य सरकार, उच्च्व न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधीसूचना द्वारा, एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगीः

परन्तु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए हैं, वहां राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालयों को, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी :

---

1. संशोधन अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व धारा 14 निम्नवत थी :-

''**14. विशेष न्यायालय -** राज्य सरकार, शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिये, उच्च्व न्यायालय के मुख्य न्यायपूर्ति की सहमति से, राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिये प्रत्येक जिले के लिये एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।'' ।

परन्तु यह और कि इस प्रकार स्थापित या विनिर्दिष्ट न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी।

(2) राज्य सरकार का, यह सुनिश्चित करने के लिए, पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन मामले, यथासंभव, दो मास की अवधि के भीतर निपटाए गए हैं।

(3) विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में कार्यवाहियां, दिन-प्रतिदिन के लिए जारी रहेंगी, जब तक कि उपस्थित सभी साक्षियों की अभिलिखित होने वाले कारणों से उसको आगामी दिन से परे स्थगन करना आवश्यक नहीं पाता हो:

परन्तु जब विचारण, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब विचारण, यथासंभव, आरोप पत्र को फाइल करने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

[1]{**14क. अपीलें -** (1) दंड प्रक्रिया संहिता,1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, के विरूद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में, उच्च न्यायालय में होगी।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता,1973 (1974का 2) की धारा 378की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के जमानत मंजूर करने या नामंजूर करने के किसी आदेश के विरूद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे निर्णय, दंडादेश या आदेश से, जिससे अपील की गई है, नब्बे दिन के भीतर की जाएगी:

परन्तु उच्च न्यायालय, नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास नब्बे दिन के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था:

परन्तु यह और कि कोई अपील, एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं की जाएगी।

(4) उपधारा (1) में की गई प्रत्येक अपील का निपटारा, यथासंभव, अपील ग्रहण करने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर होगा।,

[2]{**15. विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक -** (1) राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति करेगी।

(2) राज्य सरकार, प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनन्य विशेष लोक अभियोजक को विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता, के रूप में विधि-व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए अनन्य विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।

---

1. संशोधन अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।
2. संशोधन अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व धारा 15 निम्नवत थी :-
   ''**15. विशेष लोक अभियोजक -** राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिये, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधितक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिये विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।''।

[1]{अध्याय 4 क

पीड़ित और साक्षी के अधिकार

15क. पीड़ित और साक्षी के अधिकार - (1) राज्य का, किसी प्रकार के अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा या हिंसा की धमकियों के विरूद्ध पीड़ितों, उसके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना, कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा।

(2) पीड़ित से निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ तथा किसी ऐसी विशेष आवश्यकता के साथ, जो पीड़ित की आयु या लिंग या शैक्षणिक अलाभ या गरीबी के कारण उत्पन्न होती है, व्यवहार किया जाएगा।

(3) किसी पीड़ित या उसके आश्रित को, किसी न्यायालय की कार्यवाही की युक्तियुक्त, यथार्थ और समय से सूचना का अधिकार होगा, जिसमें जमानत प्रक्रिया सम्मिलित है और विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार पीड़ित को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के बारे में सूचित करेगी।

(4) किसी पीड़ित या उसके आश्रित को, यथास्थिति, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को, किन्हीं दस्तावेजों या सारवान साक्षियों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को समन करने या उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा।

(5) कोई पीड़ित या उसका आश्रित, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त की जमानत, उन्मोचन, निर्मुक्ति, परिवीक्षा, सिद्धदोष या दंडादिष्ट या सिद्धदोष, दोषमुक्त या दंडादिष्ट पर या किसी सम्बद्ध कार्यवाहियों या बहसों और सिद्धदोष करने के संबंध में कोई संबद्ध कार्यवाहियां या बहसें और लिखित तर्क फाइल करने के संबंध में किन्हीं कार्यवाहियों में सुने जाने का हकदार होगा।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी मामले का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय, पीड़ित, उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को निम्नलिखित प्रदान करेगा,-

(क) न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण;

(ख) अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण-पोषण व्यय; और

(ग) अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास;

(घ) पुनः अवस्थान।

(7) राज्य, संबद्ध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किसी पीड़ित या उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को प्रदान किए गए संरक्षण के बारे में सूचित करेगा और ऐसा न्यायालय प्रस्थापित किए गए संरक्षण का आवधिक रूप में पुनर्विलोकन करेगा तथा समुचित आदेश पारित करेगा।

(8) उपधारा (6) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबद्ध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय उसके समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में किसी पीड़ित या उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षी द्वारा या ऐसे पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षी के संबंध में विशेष लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वेच्छा से ऐसे उपाय, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, कर सकेगा,-

(क) जनता की पहुंच योग्य मामले के उसके आदेशों या निर्णयों में या किन्हीं अभिलेखों में साक्षियों के नाम और पतों को छुपाना;

(ख) साक्षियों की पहचान और पतों का अप्रकटन करने के लिए निदेश जारी करना;

---

1. संशोधन अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित।

(ग) पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षी के उत्पीड़न से संबंधित किसी शिकायत के संबंध में तुरंत कार्यवाही करना और उसी दिन, यदि आवश्यक हो, संरक्षण के लिए समुचित आदेश पारित करनाः

परन्तु खंड (ग) के अधीन प्राप्त शिकायत में जांच या अन्वेषण ऐसे न्यायालय द्वारा मुख्य मामले से पृथक रूप से विचारित किया जाएगा और शिकायत की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगाः

परन्तु यह और कि जहां खण्ड (ग) के अधीन कोई शिकायत लोक सेवक के विरूद्ध है, वहां न्यायालय ऐसे लोक सेवक को, न्यायालय की अनुज्ञा के सिवाय, लंबित मामले से संबंधित या असंबंधित किसी विषय में, यथास्थिति, पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षी के साथ हस्तक्षेप से अवरूद्ध करेगा।

(9) अन्वेषण अधिकारी और थाना अधिकारी का, पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षियों के अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा या हिंसा की धमकियों के विरूद्ध शिकायत को अभिलिखित करने का कर्तव्य होगा, चाहे वह मौखिक रूप से या लिखित में दी गई हो, और प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक फोटो प्रति उनको तुरंत निःशुल्क दी जाएगी।

(10) इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित सभी कार्यवाहियां वीडियो अभिलिखित होंगी।

(11) सम्बद्ध राज्य का, न्याय प्राप्त करने में पीड़ितों और साक्षियों के निम्नलिखित अधिकारों और हकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित स्कीम विनिर्दिष्ट करने का कर्तव्य होगा, जिससे,–

(क) अभिलिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट की निःशुल्क प्रति प्रदान की जा सकें;

(ख) अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों को नकद या वस्तु में तुरंत राहत प्रदान की जा सके;

(ग) अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों और साक्षियों को आवश्यक संरक्षण प्रदान किया जा सके;

(घ) मृत्यु या उपहति या सम्पत्ति को नुकसान के संबंध में राहत प्रदान की जा सके;

(ड.) पीड़ितों को खाद्य या जल या कपड़े या आश्रय या चिकित्सीय सहायता या परिवहन सुविधा या प्रतिदिन भत्तों की व्यवस्था की जा सकें;

(च) अत्याचार से पीड़ितों और उनके आश्रितों को भरण-पोषण व्यय प्रदान किया जा सके; और

(छ) शिकायत करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करने के समय अत्याचार से पीड़ितों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकें;

(ज) अभित्रास तथा उत्पीड़न के अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों और साक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके;

(झ) अन्वेषण और आरोप पत्र की प्राप्ति पर अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके तथा निःशुल्क आरोप पत्र की प्रति प्रदान की जा सके;

(ञ) चिकित्सीय परीक्षा के समय आवश्यक पूर्वावधानियां की जा सकें;

(ट) राहत रकम के संबंध में अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सकें;

(ठ) अन्वेषण और विचारण की तारीख और स्थान के बारे में अग्रिम रूप से अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके;

(ड) अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यष्टिकों के मामले पर और विचारण की तैयारी के लिए पर्याप्त टिप्पणी दिया जा सके तथा उक्त प्रयोजन के लिए विधिक सहायता प्रदान की जा सके;

(ढ) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रत्येक क्रम पर अत्याचार पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यष्टिकों के अधिकारों का निष्पादन किया जा सके और अधिकारों के निष्पादन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

(12) अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों का गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का अधिकार होगा।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

16. राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति - सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) की धारा 10क के उपबंध, जहां तक हो सकें, इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उसे वसूल करने के प्रयोजनों के लिए और उससे सम्बद्ध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे।

17. विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही - यदि जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस उप-अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो यह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं और जो उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर निवास करते हैं या बार-बार आते-जाते हैं, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है या उन्होंने अपराध करने की धमकी दी है और उसकी यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदाचार बनाए रखने तथा लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा और निवारक कार्यवाही कर सकेगा।

(2) संहिता के अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 11 के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक स्कीमें वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुए बना सकेगी जिसका उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी अत्याचारों के निवारण के लिए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना पुनः लाने के लिए स्कीम या स्कीमों में विनिर्दिष्ट समुचित कार्यवाही करेंगे।

18. अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना - संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

[1]{**18.ए किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना -**

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए -

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी, यदि आवश्यक हो, से पूर्व अन्वेषक अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके विरूद्ध इस

1. अधिनियम क्रमांक 27 सन् 2018 की धारा 2 द्वारा दिनांक 20.08.2018 से अंतःस्थापित।

अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियोग लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

(2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निदेश के होते हुए भी, संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को लागू नहीं होंगे।

19. इस अधिनियम के अधीन अपराध के दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबन्ध का लागू न होना - संहिता की धारा 360 के उपबन्ध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबन्ध अठारह वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है।

20. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना - इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

21. अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य - (1) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी जो आवश्यक हों।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेगा।

(i) ऐसे व्यक्तियों को, जिन पर अत्याचार हुआ है, न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की, जिनके अंतर्गत विधिक सहायता भी है, व्यवस्था;

(ii) इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण और विचारण के दौरान साक्षियों, जिनके अंतर्गत अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति भी है, यात्रा और भरण-पोषण के व्यय की व्यवस्था;

(iii) अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनरूद्धार की व्यवस्था;

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारम्भ करने या उनका पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति;

(v) ऐसे समुचित स्तरों, पर, जो राज्य सरकार, ऐसे उपायों की रचना या उनके क्रियान्वयन के लिए उस सरकार की सहायता करने के लिए ठीक समझे, समितियों की स्थापना करना;

(vi) इस अधिनियम के उपबन्धों के बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए उपायों को सुझाव देने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण का समय-समय पर सर्वेक्षण करने की व्यवस्था;

(vii) उन क्षेत्रों की पहचान जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावना हो और ऐसे उपाय करना जिससे ऐसे सदस्यों की सुरक्षा अभिनिश्चित की जा सके।

(3) केन्द्रीय सरकार, ऐसे उपाय करेगी जो उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपायों में समन्वय करने के लिए आवश्यक हों।

(4) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक वर्ष, संसद् के प्रत्येक सदन के पटल पर इस धारा के उपबन्धों के अनुसरण में स्वयं उसके द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट रखेगी।

22. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण – इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी बाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंन्द्रीय सरकार के विरूद्ध या राज्य सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी।

23. नियम बनाने की शक्ति - (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह तत्पश्चात् ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[1][अनुसूची

[धारा 3(2) (vक)]

भारतीय दंड संहिता के अधीन धारा	अपराध का विवरण
120क	आपराधिक षड़यंत्र की परिभाषा।
120ख	आपराधिक षड़यंत्र का दंड।
141	विधि विरूद्ध जमाव।
142	विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होना।
143	विधि विरूद्ध जमाव के लिए दंड।
144	घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव में सम्मिलित होना।
145	किसी विधि विरूद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना।
146	बलवा करना।
147	बलवा करने के लिए दंड।
148	घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना।
217	लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा।
319	उपहति।
320	घोर उपहति।
323	स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दंड।
324	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना।

1. संशोधन अधिनियम क्रमांक 1 सन 2016 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित।

भारतीय दंड संहिता के अधीन धारा	अपराध का विवरण
325	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दंड।
326क/ख	स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना।
332	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना।
341	सदोष अवरोध के लिए दंड।
354	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
354 क	लैंगिक उत्पीडन और लैंगिक उत्पीडन के लिए दंड।
354ख	विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
354ग	दृश्यरतिकता।
354घ	पीछा करना।
359	व्यवहरण।
363	व्यवहरण के लिए दंड।
365	किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण।
376ख	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन।
376ग	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन।
447	आपराधिक अतिचार के लिए दंड।
506	आपराधिक अभित्रास के लिए दंड।
509	शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है।]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1995

सा.क.नि. 588(अ)-केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 संशोधन नियम, 2016 एवं 2018 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) ''अधिनियम''से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989, का 33) अभिप्रेत है;

[1]{(ख) ''आश्रित'' से पीड़ित के पति या पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहन अभिप्रेत है जो आलंब और पोषण के लिए ऐसे पीड़ित पर पूर्णतया या मुख्यतया आश्रित हैं;

(ग) ''परिलक्षित क्षेत्र'' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहां राज्य सरकार के पास यह विश्वास का कारण है कि वहां अत्याचार हो सकता है या अधिनियम के अधीन किसी अपराध के पुनः होने की आशंका है अथवा ऐसा क्षेत्र अत्याचार उन्मुख है;

(घ) ''गैर सरकारी संगठन'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या दस्तावेजों या संगठनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कल्याण सम्बन्धी क्रियाकलापों में लगा हुआ कोई स्वैच्छिक संगठन अभिप्रेत है;

(ङ) ''अनूसूची'' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(छ) ''राज्य सरकार'' से, किसी संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उप संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है :

[2]{(छक) ''स्वेच्छया'' का वही अर्थ होगा जो, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 39 में उसे दिया गया है ;}

(ज) उन शब्दों और मदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में हैं।

''*भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 14 अप्रैल, 2016 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 (2016 का संशोधन नियम, संख्यांक 268) दिनांक 14 अप्रैल, 2016 से प्रभावी।

*भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 27 जून, 2018 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2018 (2018 का संशोधन नियम, संख्यांक 430) दिनांक 27 जून, 2018 से प्रभावी।

1. संशोधन नियम अधिसूचना क्रमांक 268 सन् 2016 के द्वारा अंतःस्थापित।
2. अधिसूचना क्रमांक सां.का.नि. 588 (अ) दिनांक 27.06.2018 द्वारा दिनांक 27.06.2018 से अंतःस्थापित।

3. पूर्वावधानात्मक और निवारक उपाय :- राज्य सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के निवारण की दृष्टि से–

(i) ऐसे क्षेत्र को परिलक्षित करेगी, जहां इसके पास विश्वास का कारण है कि अधिनियम के अधीन अत्याचार हो सकता है या किसी अपराध के पुनः होने की आशंका है;

(ii) जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या किसी अन्य अधिकारी को परिलक्षित क्षेत्र का दौरा करने और विधि व्यवस्था की स्थिति का पुनर्विलोकन करने के आदेश देगी;

(iii) यदि आवश्यक समझा जाय तो परिलक्षित क्षेत्र में व्यक्तियों के जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नहीं है, उनके निकट सम्बन्धियों/सेवकों या कर्मचारियों और कुटुम्बीय मित्रों के आयुधों के लाइसेंसों को रद्द करेंगी और ऐसे आयुधों को सरकारी शस्त्रागार में जमा करवाएगी;

(iv) सभी अवैध आग्न्यायुधों को अभिग्रहण करेगी तथा आग्न्यायुधों के किसी अवैध विनिर्माण को प्रतिषिद्ध करेगी;

(v) व्यक्ति और सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यदि आवश्यक समझा जाय तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आयुध प्रदान करेगी;

(vi) अधिनियमों के उपबन्धों के कार्यान्वयन में सरकार की सहायता करने के लिए यदि उचित और आवश्यक समझा जाए तो एक उच्च शक्ति प्राप्त राज्य स्तरीय समिति, जिला तथा प्रभाग स्तरीय समितियों का गठन करेगी;

(vii) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के लिए एक सतर्कता और मानीटरिंग समिति की स्थापना करेगी;

(viii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को, विभिन्न केन्द्रीय और राज्य अधिनियमितियों या नियमों, विनियमों तथा तद्धीन बनाई गयी योजनाओं के उपबन्धों के अधीन उनकी उपलब्ध उनके अधिकारों और संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए परिलक्षित क्षेत्र में अथवा किसी अन्य स्थान पर जागरूकता केन्द्रों की स्थापना करेगी और कार्यशालाओं का आयोजन करेगीः

(ix) जागरूकता केन्द्रों की स्थापना और उनके रख–रखाव के लिए गैर– सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करेगी और उन्हें आवश्यक वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करेगी;

(x) परिलक्षित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात करेगी;

(xi) प्रत्येक तिमाही के अंत में विधि व्यवस्था की स्थिति, विभिन्न समितियों के कार्यकरण, अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन और अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों के लिए उत्तरदायी विशेष लोक अभियोजकों, अन्वेषक अधिकारियों और अन्य अधिकरियों के कार्यपालन का पुनर्विलोकन करेगी;

[1]{**4. अभियोजन का पर्यवेक्षण और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना :-**

(1) राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ताओं की ऐसी संख्या का पैनल प्रत्येक जिले के लिए तैयार करेगी जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसाय में हों जैसा वह विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों को संचालित करने के लिए आवश्यक समझे।

(1अ) राज्य सरकार निदेशक अभियोजन या अभियोजन भारसाधक के परामर्श से लोक अभियोजकों और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की ऐसे संख्या का पैनल भी विनिर्दिष्ट करेगी जो वह यथास्थिति विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए आवश्यक समझे।

---

1. संशोधन नियम अधिसूचना क्रमांक 268 सन् 2016 के द्वारा अंतःस्थापित।

(1आ) उपनियम (1) और उपनियम (1ख) में निर्दिष्ट दोनों पैनल राज्य के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगे।

(2) जिला मजिस्ट्रेट और अभियोजन निदेशक/अभियोजन का भारसाधक एक कैलेंडर वर्ष में दो बार, जनवरी तथा जुलाई के मास में इस प्रकार विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक के कार्यपालन का पुनर्विलोकन करेंगे और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि राज्य सरकार का यह समाधन हो गया है या यह विश्वास करने का कारण है, इस प्रकार नियुक्त या विनिर्दिष्ट किसी विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक ने अपनी सर्वोत्तम योग्यता से तथा सम्यक सावधानी और सतर्कता से मामले का संचालन नहीं किया है तो उसका नाम, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, अधिसूचना से निकाल दिया जायेगा।

(4) जिला मजिस्ट्रेट और जिला स्तर पर अभियोजन का भारसाधक अधिकारी को,-

(क) इस अधिनियम के अधिनियम रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति

(ख) अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों का कार्यान्वयन, का पुनर्विलोकन करेगा और प्रत्येक पश्चात्वर्ती मास की बीसवीं तारीख को या उससे पूर्व अभियोजन निदेशक और राज्य सरकार को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें प्रत्येक मामले के अन्वेषण और अभियोजन के संबंध में की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई विनिर्दिष्ट होगी।

(5) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट, यदि आवश्यक समझे, अथवा अत्याचार के पीड़ित व्यक्ति ऐसा चाहें तो विशेष न्यायालयों या अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिये ऐसी फीस के भुगतान पर जैसा वह उचित समझे, एक विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता को नियोजित कर सकेगा।

(6) विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक को फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा राज्य में अन्य पैनल अधिवक्ताओं से उच्चतर मान पर नियत किया जाएगा।

5. पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को सूचना :-

(1) अधिनियम के अधीन अपराध किये जाने से सम्बन्धित प्रत्येक सूचना यदि पुलिस थाने के भारसाधक किसी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है तो उसके द्वारा या उसके निर्देश से लेखबद्ध कर ली जायेगी और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और ऐसी प्रत्येक सूचना, चाहे लिखित में दी जाती है या यथापूर्वोक्त लेखबद्ध की जाती है, इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और उसके सार को उस पुलिस थाने द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्ट किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार लेखबद्ध की गयी सूचना की एक प्रति सूचना देने वाले को तत्काल मुफ्त दी जायेगी।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना को लेखबद्ध करने से पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की ओर से इंकार होने से व्यथित कोई व्यक्ति इस प्रकार की सूचना का सार लिखित रूप में डाक द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो स्वयं अपने द्वारा या एक पुलिस अधिकारी द्वारा जो सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो स्वयं अपने द्वारा एक पुलिस अधिकारी द्वारा जो पुलिस उप अधीक्षक के रैंक से कम न हो, अन्वेषण के पश्चात् लिखित रूप में एक आदेश उस सूचना के सार को उस पुलिस थाने के द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्टि किये जाने के लिए सम्बन्धित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को देगा।

6. अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण :-

(1) जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस उप अधीक्षक से कम की पंक्ति का न हो, किसी व्यक्ति से अथवा अपनी ही जानकारी से सूचना प्राप्त करता है कि उसकी अधिकारिता के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार किया गया है तो तुरन्त वह अत्याचार से हुए जीवन हानि, सम्पत्ति हानि और नुकसान की सीमा को निर्धारण करने के लिए स्वयं घटना स्थल पर जायेगा और राज्य सरकार को तत्काल एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक / उप पुलिस अधीक्षक उस स्थान या क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद उस स्थल पर,-

(क) राहत के हकदार पीड़ितों, उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों की एक सूची बनाएगा;

(ख) अत्याचार, पीड़ितों की सम्पत्ति की हानि और नुकसान की सीमा की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा;

(ग) क्षेत्र में पुलिस की गहन गश्त के आदेश देगा;

(घ) साक्षियों और पीड़ितों से सहानुभूति रखने वालों को सुरक्षा प्रदान करने के प्रभावी और आवश्यक उपाय करेगा;

(ङ) पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करेगा;

7. अन्वेषक अधिकारी :-

(1) अधिनियम के अधीन किये गये किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो पुलिस उपाधीक्षक के रैंक से कम का न हो। अन्वेषक अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार / पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके पूर्व अनुभव, मामले की विविक्षाओं को समझने और मामलों का अन्वेषण सही दिशा में कम से कम समय के भीतर करने की योग्यता और न्याय की भावना को ध्यान में रखकर की जायेगी।

[1]{(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त अन्वेषण अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर अन्वेषण पूरा करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरन्त राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और सम्बद्ध पुलिस थाने का भारसाधक साठ दिन की अवधि (इस अवधि में अन्वेषण और आरोप पत्र फाइल किया जाना भी सम्मिलित है) के भीतर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा।

[2]{(2क) उपनियम (2) के अनुसार अन्वेषण में या आरोप पत्र फाइल करने में विलंब यदि कोई हो, अन्वेषणकारी अधिकारी द्वारा लिखित में स्पष्ट किया जायेगा।

[3]{(3) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का सचिव, गृह विभाग और सचिव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग (विभाग का नाम राज्य दर राज्य परिवर्तित हो सकता है), सम्बद्ध राज्य का या संघ राज्यक्षेत्र का अभियोजन निदेशक, अभियोजन भारसाधक अधिकारी और पुलिस महानिदेशक या भारसाधक पुलिस आयुक्त, अन्वेषण अधिकारी द्वारा अधिकारी द्वारा किए गए सभी अन्वेषणों की प्रत्येक तिमाही के अंत तक स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा।

---

1. संशोधन नियम अधिसूचना क्रमांक 268 सन् 2016 के द्वारा अंतःस्थापित।
2. संशोधन नियम अधिसूचना क्रमांक 268 सन् 2016 के द्वारा अंतःस्थापित।
3. संशोधन नियम अधिसूचना क्रमांक 268 सन् 2016 के द्वारा अंतःस्थापित।

8. अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना :-

(1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक के भारसाधन में एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना करेगी। यह कक्ष निम्नलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा:-

(i) परिलक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण करना;

(ii) परिलक्षित क्षेत्र में लोक व्यवस्था प्रशांति बनाये रखना;

(iii) परिलक्षित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात करने के लिए या विशेष पुलिस चौकी की स्थापना के लिए राज्य सरकार की सिफारिश करना;

(iv) अधिनियम के अधीन अपराध होने के सम्भावित कारणों के बारे में अन्वेषण करना;

(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना को लाना;

(vi) परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति के बारे में नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी को सूचित करना;

[1]{(viक) अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्ष्य के अधिकारों के कार्यान्वयन के बारे में नोडल अधिकारी और सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेटों को सूचित करना।

(vii) विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये अन्वेषण और स्थल पर किये गये निरीक्षणों के बारे में पूछ-ताछ करना;

(viii) नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन उन मामलों में, जहां पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उस थाने में रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्टि करने से इंकार किया, पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में पूछ-ताछ करना;

(ix) किसी लोक सेवक द्वारा जानबूझकर की गयी उपेक्षा के बारे में पूछ-ताछ करना;

(x) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति का पुनर्विलोकन करना;

(xi) उपर्युक्त के सम्बन्ध में राज्य सरकार/नोडल अधिकारी को की गयी/की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक पश्चात्वर्ती मास की 20 तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत करना।

9. नोडल अधिकारी का नामनिर्देशन :-

राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारियों के अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अन्वेषण अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए, राज्य सरकार के सचिव के स्तर के अधिकारी को, जो अधिमानतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हो, नोडल अधिकारी नाम-निर्देशित करेगा। प्रत्येक तिमाही के अन्त में नोडल अधिकारी निम्नलिखित का पुनर्विलोकन करेगा :-

(1) नियम 4 के उपनियम (2) और उपनियम (4), नियम 6, नियम 8 के खण्ड (xi) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट;

(2) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति;

(3) परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति;

(4) अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों और उनके आश्रित को नकद या वस्तु रूप में अथवा दोनों में तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए अपनाए गये विभिन्न उपाय;

---

1. संशोधन नियम अधिसूचना क्रमांक 268 सन् 2016 के द्वारा अंतःस्थापित।

(5) अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों या उसके आश्रितों को राशन, वस्त्र, आश्रय, विधिक सहायता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा परिवहन सुविधाओं जैसी तत्काल दी जाने वाली सुविधाओं की पर्याप्तता;

(6) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्यन के लिए जिम्मेदार गैर-सरकारी संगठनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष, विभिन्न समितियों और लोक सेवकों का कार्यपालन;

[1]{(7) अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्षियों के अधिकारों का कार्यान्वयन;

10. विशेष अधिकारी की नियुक्ति :-

परिलक्षित क्षेत्र में अपर जिला मजिस्ट्रेट के रैंक से अन्यून के एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारियों, विभिन्न समितियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष के साथ समन्वय करने के लिए की जायेगी। विशेष अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा :-

(1) अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत और अन्य सुविधाएं प्रदान करना और अत्याचार के पुनः होने को निवारित करने या उससे बचने के आवश्यक उपाय करना;

(2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों को उनके अधिकारों और विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अधिनियमितियों या नियमों और तद्धीन तैयार की गई योजनाओं के उपबंधों के अधीन उन्हें प्राप्त संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए परिलक्षित क्षेत्र में चेतना केन्द्र की स्थापना तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना;

(3) गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना और केन्द्रों के रख-रखाव या कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के आवश्यक सुविधाओं, वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना;

(4) परिलक्षित क्षेत्रों में अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्ष्यों के अधिकारों का कार्यान्वयन;

11. अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति उसके आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं :-

(1) अत्याचार से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति, उसके आश्रित और साक्षियों को उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण या सुनवाई या विचारण के स्थान तक एक्सप्रेस/मेल/यात्री ट्रेन में द्वितीय श्रेणी का आने-जाने का रेल भाड़ा अथवा वास्तविक बस या टैक्सी भाड़े का संदाय किया जाएगा;

(2) जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों को, अन्वेषण अधिकारी, पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए परिवहन सुविधायें देने अथवा उसके पूरे संदाय की प्रतिपूर्ति की आवश्यक व्यवस्था करेंगे;

(3) प्रत्येक महिला साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति या उसकी आश्रित महिला या अवयस्क व्यक्ति, साठ वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति और 40 प्रतिशत या उसके अधिक का निःशक्त व्यक्ति अपनी पसंद का परिचर अपने साथ लाने का हकदार होगा। परिचर को भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की सुनवाई, अन्वेषण

1. संशोधन नियम अधिसूचना क्रमांक 268 सन् 2016 के द्वारा अंतःस्थापित।

और विचारण के दौरान बुलाए जाने पर साक्षी अथवा अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को देय यात्रा और भरणपोषण व्यय का संदाय किया जाएगा;

(4) साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति या उसका/उसकी आश्रित तथा परिचर को अपराध के अन्वेषण, सुनवाई और विचारण के दौरान उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से दूर रहने के दिनों के लिए ऐसी दरों पर दैनक भरण पोषण व्यय का संदाय किया जाएगा जो उस न्यूनतम मजदूरी से जैसा कि राज्य सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए नियत की हो, कम नहीं होगा;

(5) साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति (अथवा उसका/उसकी आश्रित) और परिचर को दैनिक भरण-पोषण व्यय के अतिरिक्त आहार व्यय का भी ऐसी दरों पर संदाय किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर नियत करें;

(6) पीड़ित व्यक्तियों, उनके आश्रितों/परिचर तथा साक्षियों को अन्वेषण अधिकारी या पुलिस थाना के भारसाधक अथवा अस्पताल प्राधिकरियों या पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक अथवा जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सम्बन्धित अधिकारी के पास अथवा विशेष न्यायालय जाने के दिनों के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरणपोषण व्यय तथा परिवहन सुविधाओं की प्रतिपूर्ति जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा तुरन्त अथवा अधिक से अधिक तीन दिनों में किया जाएगा;

(7) जब अधिनियम की धारा 3 के अधीन कोई अपराध किया गया है तो जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए औषधियों, विशेष परामर्श रक्ताधान बदलने के लिए आवश्यक वस्त्र; भोजन और फलों के लिए संदाय की प्रतिपूर्ति करेंगे;

12. जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वाले उपाय :-

(1) जीवन हानि और सम्पत्ति के हुए नुकसान का निर्धारण करने और राहत के लिए पात्र पीड़ित व्यक्तियों, उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों की एक सूची तैयार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक उस स्थान या क्षेत्र में जायेंगे जहां अत्याचार किया गया है;

(2) पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस थाने की बही में रजिस्ट्रीकृत की गई है और अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(3) पुलिस अधीक्षक, मौके पर निरीक्षण के पश्चात् तत्काल एक अन्वेषण अधिकारी नियुक्त करेगा और उस क्षेत्र में ऐसा पुलिस बल तैनात करेगा और ऐसे अन्य निवारक उपाय करेगा जिन्हें वह उचित और आवश्यक समझे;

[1]{(4) जिला मजिस्ट्रेट या उप खंड मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट आवश्यक प्रशासनिक और अन्य् प्रबंध करेगा तथा अत्याचार के पीड़ितों उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को इन नियमों से उपाबंध अनुसूची के उपाबंध 2 के साथ पठित उपाबंध 1 में यथा उपबंधित पैमाने के अनुसार अत्याचार के पीड़ितों उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को सात दिन के भीतर नकदी या वस्तुरूप या दोनों में अनुतोष प्रदान करेगा और ऐसे तुरन्त अनुतोष में भोजन, जल, कपड़े, आश्रय, चिकित्सीय सहायता, परिवहन सुविधा और अन्य आवश्यक मदें भी सम्मिलित हैं;

[2]{(4अ) खजाने से तुरन्त धन निकालने के लिए जिससे कि उप नियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट अनुतोष रकम का समय से उपबंध किया जा सके, सम्बद्ध राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट को आवश्यक प्राधिकार और शक्तियां प्रदान कर सकेगी।

1. संशोधन नियम अधिसूचना क्रमांक 268 सन् 2016 के द्वारा अंतःस्थापित।
2. संशोधन नियम अधिसूचना क्रमांक 268 सन् 2016 के द्वारा अंतःस्थापित।

[1]{(4आ) विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 15क की उपधारा (6) के खंड (ग) में यथा उपबंधित किसी अन्वेषण जांच और विचारण के दौरान सामाजिक, आर्थिक और पुनर्वास का आदेश भी कर सकेगा।

[2]{(5) उप नियम (4) के अधीन अत्याचार पीड़ित व्यक्ति या उसके/उसकी आश्रित की मृत्यु, या क्षति या बलात्संग या सामूहिक बलात्संग या प्रकृति विरूद्ध अपराध या अम्ल के प्रयोग द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने या स्वेच्छया अम्ल फेंकने का प्रयत्न करना आदि या सम्पत्ति को नुकसान के लिए राहत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का दावा करने के किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त होगी।}

(6) उप नियम 4 में उल्लिखित राहत और पुनर्वास सुविधाएं जिला मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा इन नियमों की उपाबद्ध अनुसूची में दिये गये मान के अनुसार प्रदान की जायेंगी।

[3]{(7) जिला मजिस्ट्रेट या उप खंड मजिस्ट्रेट अथवा अधीक्षक द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सुविधाओं की एक रिपोर्ट विशेष न्यायालय को अग्रेषित की जाएगी। यदि विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय का समाधान हो जाता है कि राहत का संदाय पीड़ित व्यक्ति अथवा उसका/उसकी आश्रित को समय पर नहीं किया गया अथवा राहत या प्रतिकर पर्याप्त नहीं था अथवा राहत और प्रतिकर के केवल एक भाग का संदाय किया गया तो यह राहत अथवा कोई अन्य प्रकार की सहायता का पूर्ण अथवा आंशिक संदाय करने का आदेश दे सकेगा।

13. अत्याचार से सम्बन्धित कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का चयन : -

(1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अत्याचार प्रवण क्षेत्र में नियुक्त किए जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के प्रति सही प्रवृत्ति और समझ है।

(2) राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रशासन तथा पुलिस बल में सभी स्तरों पर विशेष रूप से पुलिस चौकियों और पुलिस थाने में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व हो।

[4]{**14. राज्य सरकार का विनिर्दिष्ट दायित्व :-**

(1) राज्य सरकार अपने वार्षिक बजट में अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए और साथ ही अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच प्राप्त करने में पीड़ितों और साक्षियों की अधिकारों और हकदारियों के लिए समुचित स्कीम कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपबंध करेगी।

(2) राज्य सरकार एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक के कार्यपालन का, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों, उनके द्वारा किए गए

---

1. संशोधन नियम अधिसूचना क्रमांक 268 सन् 2016 के द्वारा अंतःस्थापित।
2. अधिसूचना क्रमांक सा.क.नि. 588 (अ) दिनांक 27.06.2018 द्वारा दिनांक 27.06.2018 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपनियम (5) निम्नवत था :—

''(5) उपनियम (4) के अधीन अत्याचार पीड़ित व्यक्ति या उसके/उसकी आश्रित की मृत्यु या क्षति अथवा सम्पत्ति को नुकसान के लिए राहत तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का दावा करने के किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त होगा।''

3. संशोधन नियम अधिसूचना क्रमांक 268 सन् 2016 के द्वारा अंतःस्थापित।
4. संशोधन नियम अधिसूचना क्रमांक 268 सन् 2016 के द्वारा अंतःस्थापित।

अन्वेषण और उठाए गये निवारात्मक कदमों, पीड़ितों को दिए गए अनुतोष और पुनर्वास सुविधाओं और संबंधित अधिकारियों की ओर से हुई गलतियों के संबंध में रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगी।

15. राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता योजना :-

[1]{(1) राज्य सरकार, अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए एक योजना बनाएगी और उसे कार्यान्वित करेगी। इसे विभिन्न विभागों और विभिन्न स्तरों पर उनके अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी, ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और जिम्मेदारी को विनिर्दिष्ट करना चाहिए। इस योजना में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित को शामिल करके राहत कार्यो का एक पैकेज होगा :-

(क) नकद या वस्तु रूप में अथवा इन दोनों में तत्काल राहत प्रदान करने की योजना;

[2]{(कक) अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा 11 में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए एक समुचित स्कीम;

(ख) कृषि भूमि तथा गृह स्थलों का आवंटन;

(ग) पुनर्वास पैकेज;

(घ) सरकार और सरकारी उपक्रमों में पीड़ित व्यक्ति के आश्रित अथवा कुटुम्ब के सदस्यों में से एक को रोजगार के लिए स्कीम;

(ङ) विधवाओं, मृतक के आश्रित बालकों, विकलाँग व्यक्तियों या अत्याचार से पीड़ित वृद्धों के लिए पेंशन स्कीम;

(च) पीड़ितों के लिए आज्ञापरक प्रतिकर;

(छ) पीड़ित की सामाजिक और आर्थिक हालत को सुदृढ़ करने के लिए स्कीम;

(ज) पीड़ित व्यक्तियों को ईंट/पत्थर चिनाई गृहों के लिए उपबंध;

(झ) स्वास्थ्य की देखभाल, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, विद्युतीकरण, पर्याप्त पेयजल सुविधा, अन्त्येष्टि स्थल तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्राकृतिक वास तक सम्पर्क मार्ग जैसी सुविधाएं।

[3]{(2) राज्य सरकार, आकस्मिकता योजना की अथवा उसके सार की एक प्रति और इस स्कीम की एक प्रति यथाशीघ्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को तथा सभी जिला मजिस्ट्रेटों, उपखंड मजिस्ट्रेटों, पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को अग्रेषित करेगी।

[4]{16. राज्य स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति का गठन :-

(1) राज्य सरकार [5]{* * *}एक उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरिंग समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(i) मुख्यमंत्री प्रशासक-अध्यक्ष (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में राज्यपाल अध्यक्ष होंगे) :

---

1. संशोधन नियम अधिसूचना क्रमांक 268 सन् 2016 के द्वारा अंतःस्थापित।
2. संशोधन नियम अधिसूचना क्रमांक 268 सन् 2016 के द्वारा अंतःस्थापित।
3. संशोधन नियम अधिसूचना क्रमांक 268 सन् 2016 के द्वारा अंतःस्थापित।
4. संशोधन नियम अधिसूचना क्रमांक 268 सन् 2016 के द्वारा अंतःस्थापित।
5. अधिसूचना क्रमांक सां.का.नि. 588 (अ) दिनांक 27.06.2018 द्वारा दिनांक 27.06.2018 से ''अधिक से अधिक 25 सदस्यों की'' शब्द और अंक विलुप्त।

(ii) गृहमंत्री, वित्त मंत्री और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक मंत्री-सदस्य (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में सलाहकार सदस्य होंगे):

(iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित संसद, राज्य विधान सभा और विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे;

(iv) मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य होंगे;

(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक सचिव;

(2) उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति की बैठक अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वन अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम, पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों या अभिकरणों की भूमिका का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों जिनके अन्तर्गत नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी की रिपोर्टें भी हैं, का पुनर्विलोकन करने के लिए कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई मास में होगी।''

17. जिला स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति का गठन :-

[1]{(1) राज्य के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट, अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधाएं तथा उससे सम्बद्ध अन्य मामलों, अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन, अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के पुनर्विलोकन के लिए अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय की पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों की भूमिका तथा जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टो के पुनर्विलोकन के लिए अपने जिले में सतर्कता और मानीटरिंग समिति की स्थापना करेगा।

(2) जिला स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति में संसद, राज्य विधान सभा तथा विधान परिषद के चुने गये सदस्य, पुलिस अधीक्षक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित राज्य सरकार के तीन समूह ''क'' अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अधिक से अधिक 5 गैरसरकारी सदस्य तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भिन्न प्रवर्ग के ऐसे अधिक से अधिक 3 सदस्य होंगे जो गैर सरकारी संगठनों से सहबद्ध हैं। जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे।

(3) जिला स्तरीय समिति की, तीन मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

[2]{17क. उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति का गठन :-

(1) राज्य के प्रत्येक उपखण्ड का उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अपने उपखंड में इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का पीड़ितों को दिए गए अनुतोष और पुनर्वास सुविधाओं और उससे संबंधित विषयों का, अधिनियम के अधीन मामलों

1. संशोधन नियम अधिसूचना क्रमांक 268 सन् 2016 के द्वारा अंतःस्थापित।
2. संशोधन नियम अधिसूचना क्रमांक 268 सन् 2016 के द्वारा अंतःस्थापित।

के अभियोजन का, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने के लिए अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय की पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम उत्तरदायी विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों की भूमिका का और उपखंड प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करने के लिए एक सतर्कता और मानीटरिंग समिति का गठन करेगा।

(2) उप खण्डस्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति में उपखण्ड से राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य, पुलिस उप-अधीक्षक, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित दो से अनधिक अशासनिक सदस्य और गैर सरकारी संगठनों से सहयुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न प्रवर्गों से दो से अनधिक सदस्य होंगे।

(3) उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिव क्रमशः उपखण्ड मजिस्ट्रेट और ब्लॉक विकास अधिकारी होंगे।

(4) उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

18. वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री :-

राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों और इसके द्वारा पिछले कैलेण्डर वर्ष के दौरान तैयार की गई विभिन्न स्कीमों/योजनाओं के बारे में रिपोर्ट अग्रेषित करेगी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या: 118/2016/1405/26-3-2016-4(256)/1994 दिनांक 14-6-2016 के अनुसार प्रदेश में पीड़ित व्यक्तियों को देय आर्थिक सहायता का विवरण

क्र0 सं0	अपराध का प्रकार	पीड़ित को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की न्यूनतम राशि	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात	आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने के पश्चात	अवर न्यायालय में दोष सिद्धि के पश्चात
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना, {अधिनियम की धारा 3 (1) (क)}	एक लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
2.	मल-मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना {अधिनियम की धारा 3 (1) (ख)}	एक लाख रूपया	10 प्रतिशत	50 प्रतिशत	40 प्रतिशत
3.	क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूडा, पशु शव इकट्ठा करना {अधिनियम की धारा 3 (1) (ग)}	एक लाख रूपया	10 प्रतिशत	50 प्रतिशत	40 प्रतिशत
4.	जूतों की माला पहनाना या नग्न अर्द्ध नग्न घुमाना {अधिनियम की धारा 3 (1) (घ)}	एक लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
5.	बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना {अधिनियम की धारा 3 (1) (ङ)}	एक लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
6.	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना {अधिनियम की धारा 3 (1) (च)}	एक लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
7.	भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी हैं, के साथ हस्तक्षेप करना {अधिनियम की धारा 3 (1) (छ)}	एक लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
8.	बेगार या अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ श्रम {अधिनियम की धारा 3 (1) (ज)}	एक लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
9.	मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना {अधिनियम की धारा 3 (1) (झ.)}	एक लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत

क्र0 सं0	अपराध का प्रकार	पीड़ित को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की न्यूनतम राशि	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात	आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने के पश्चात	अवर न्यायालय में दोष सिद्धि के पश्चात
10.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना {अधिनियम की धारा 3 (1) (ञ)}	एक लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
11.	अनुसुचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने {अधिनियम की धारा 3 (1) (ट)}	एक लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
12.	मतदान करने या नाम निर्देशन रूपया फाइल करने से निवारित करना {अधिनियम की धारा 3(1)(ठ)}	पचासी हजार रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
13.	पंचायत या नगर पालिका के पद रूपया के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना {अधिनियम की धारा 3(1)(ड)}	पचासी हजार रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
14.	मतदान के पश्चात हिंसा और रूपया सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण {अधिनियम की धारा 3 (1) (ढ)}	पचासी हजार रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
15.	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए रूपया मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना {अधिनियम की धारा 3 (1) (ण)}	पचासी हजार रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
16.	मिथ्या, द्वेष पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्रवाइयां संस्थित करना {अधिनियम की धारा 3 (1) (त)}	पचासी हजार रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
17.	किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देना {अधिनियम की धारा 3(1)(थ)}	एक लाख रूपया या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो।	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
18.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास {अधिनियम की धारा 3 (1) (द)}	एक लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
19.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली-गलौज करना {अधिनियम की धारा 3 (1) (ध)}	एक लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत

क्र0 सं0	अपराध का प्रकार	पीड़ित को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की न्यूनतम राशि	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात	आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने के पश्चात	अवर न्यायालय में दोष सिद्धि के पश्चात
20.	धार्मिक मानी जाने वाली अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुँचाना या उसे अपवित्र करना {अधिनियम की धारा 3 (1) (न)}	एक लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
21.	शत्रुता, घृणा से वैमनस्य की भावनाओं में अभिवृद्धि करना {अधिनियम की धारा 3 (1) (प)}	एक लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
22.	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना {अधिनियम की धारा 3 (1) (फ)}	एक लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
23.	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हो, उसके सहमति के बिना उसे स्पर्श करना {अधिनियम की धारा 3 (1) (ब)}	दो लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
24.	[1]{भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 326क-अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना, भारतीय दंड संहिता 1860 का 45) की धारा 326ख-स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना, {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(V), 3(2)(Vक)}}	**(क)** ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आँख, कान, नाक और मुँह के प्रकार्य ह्रास और शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपये **(ख)** ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच जला है चार लाख पन्द्रह हजार रूपये **(ग)** ऐसे पीड़ित व्यक्ति चेहरे के अतिरिक्त जिनका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ को पचासी हजार रूपये इसके अतिरिक्त	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर 50 प्रतिशत एवं चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने पर शेष 50 प्रतिशत	-	-

1. अधिसूचना क्रमांक सां.का.नि. 588 (अ) दिनांक 27.06.2018 द्वारा दिनांक 27.06.2018 से प्रतिस्थापित।

क्र0 सं0	अपराध का प्रकार	पीड़ित को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की न्यूनतम राशि	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात	आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने के पश्चात	अवर न्यायालय में दोष सिद्धि के पश्चात
		राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले को पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा।			
25.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2) (Vक)}	दो लाख रूपया	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत	अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति के पश्चात 25 प्रतिशत
26.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 354 क - लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़नों के लिए दंड {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित [1]{धारा 3(क) (Vक)}}	दो लाख रूपया	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत	निचले न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति के पश्चात 25 प्रतिशत
27.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ख) (1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (Vक)}	दो लाख रूपया	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत	अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति के पश्चात 25 प्रतिशत
28.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ग) (1860 का 45) दृश्यरतिकता {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (Vक)}	दो लाख रूपया	10 प्रतिशत	50 प्रतिशत	40 प्रतिशत
29.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354(घ) (1860 का 45) पीछा करना {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2) (Vक)}	दो लाख रूपया	10 प्रतिशत	50 प्रतिशत	40 प्रतिशत
30.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2) (Vक)}	दो लाख रूपया	चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत	25 प्रतिशत	अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति के पश्चात 25 प्रतिशत
31.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2) (Vक)}	चार लाख रूपया	चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत	25 प्रतिशत	अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति के पश्चात 25 प्रतिशत

1. अधिसूचना क्रमांक सां.का.नि. 588 (अ) दिनांक 27.06.2018 द्वारा दिनांक 27.06.2018 से प्रतिस्थापित।

क्र0 सं0	अपराध का प्रकार	पीड़ित को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की न्यूनतम राशि	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात	आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने के पश्चात	अवर न्यायालय में दोष सिद्धि के पश्चात
32.	भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2) (Vक)}	दो लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
33.	जल को दूषित या गंदा करना {अधिनियम की धारा 3 (1) (भ)}	सामान्य सुविधा जिसके अन्तर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक आस्तियों को सृजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।	-	-	-
34.	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इनकार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुँच रखने में बाधा पहुँचाना {अधिनियम की धारा 3 (1) (म)}	सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपये और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
35.	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना {अधिनियम की धारा 3 (1) (य)}	सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत

क्र0 सं0	अपराध का प्रकार	पीड़ित को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की न्यूनतम राशि	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात	आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने के पश्चात	अवर न्यायालय में दोष सिद्धि के पश्चात
		एक लाख रूपये की राहत तथा सरकारी खर्च पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनष्ट हो गया है।			
36.	निम्नलिखित के सम्बन्ध में किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को बाधा या निवारित करना :-				
	(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान, भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन किसी सड़क या रास्ते का उपयोग {अधिनियम की धारा 3 (1) (यक) (अ) }	**(अ)** क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समझौता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपए की राहत।	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नये वस्त्र पहनना या बरात निकालना या बरात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना {अधिनियम की धारा 3 (1) (यक) (आ) }	**(आ)** सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नये वस्त्र पहनना या बरात निकालना या बरात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष।	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत

क्र0 सं0	अपराध का प्रकार	पीड़ित को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की न्यूनतम राशि	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात	आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने के पश्चात	अवर न्यायालय में दोष सिद्धि के पश्चात
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या किसी अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस या जिसके अन्तर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेना {अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)}	(इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानता पूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस या जिसके अन्तर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष।	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना या पब्लिक के लिये खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिये आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग {अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(ई)}	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना या पब्लिक के लिये खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिये आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष।	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारोबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के किसी अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग	(उ) कोई व्यवसाय करने या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारोबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत

क्र0 सं0	अपराध का प्रकार	पीड़ित को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की न्यूनतम राशि	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात	आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने के पश्चात	अवर न्यायालय में दोष सिद्धि के पश्चात
	करने का या उस तक पहुँच का अधिकार है। {अधिनियम की धारा 3 (1) (यक) (उ) }	किसी अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुँच का अधिकार है। राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष।			
37.	डायन होना या जादू टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना {अधिनियम की धारा 3 (1) (यख) }	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपया और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार।	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
38.	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना {अधिनियम की धारा 3 (1) (यग) }	सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।	-	-	-
39.	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना {अधिनियम की धारा 3 (2) (i) और (ii)}	चार लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
40.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है {अधिनियम की धारा 3 (2) }	पीड़ित या उसके आश्रितों को चार लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
41.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा ऐसे अपराधों	पीड़ित या उसके आश्रितों को दो लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत

क्र0 सं0	अपराध का प्रकार	पीड़ित को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की न्यूनतम राशि	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात	आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने के पश्चात	अवर न्यायालय में दोष सिद्धि के पश्चात
	के लिए भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्ट किया गया है। {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (vक) }				
42.	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना {अधिनियम की धारा 3 (2) (vii) }	पीड़ित या उसके आश्रितों को दो लाख रूपया	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत	25 प्रतिशत
43.	निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं0 16-18/97- एन.आई. तारीख 1 जून 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए अंतर्विष्ट विभिन्न निःशक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है।				
	(क) शत-प्रतिशत अक्षमता	आठ लाख और पच्चीस हजार रूपया	चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात 50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-
	(ख) जहां अक्षमता शतप्रतिशत से कम है किन्तु पचास प्रतिशत से अधिक है	चार लाख और पचास हजार रूपया	चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात 50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-
	(ग) जहां अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	दो लाख और पचास हजार रूपया	चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि 50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-
44.	बलात्संग, प्रकृति विरूद्ध अपराध या सामूहिक बलात्संग [1](i) बलात्संग आदि या प्रकृति के विरूद्ध अपराध (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 375, 376, 376क, धारा 376ङ, और धारा 377}}	पांच लाख रूपया	चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात 50 प्रतिशत	25 प्रतिशत	अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति के पश्चात 25 प्रतिशत
	(ii) सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376घ)	आठ लाख पच्चीस हजार रूपया	चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात 50 प्रतिशत	25 प्रतिशत	अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति के पश्चात 25 प्रतिशत
45.	हत्या या मृत्यु	आठ लाख पच्चीस हजार रूपया	शव परीक्षा के पश्चात 50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-

1. अधिसूचना क्रमांक सां.का.नि. 588 (अ) दिनांक 27.06.2018 द्वारा दिनांक 27.06.2018 से प्रतिस्थापित।

क्र0 सं0	अपराध का प्रकार	पीड़ित को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की न्यूनतम राशि	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात	आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने के पश्चात	अवर न्यायालय में दोष सिद्धि के पश्चात
46.	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबन्ध किया जायेगा :- **1.** अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों को प्रतिमास पांच हजार रूपये की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता, जैसा सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरन्त क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध। **2.** पीड़ित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण-पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित आश्रय स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा। **3.** बर्तनों, चावल, गेहूँ, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिये उपबन्ध।			

क्र0 सं0	अपराध का प्रकार	पीड़ित को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की न्यूनतम राशि	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात	आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने के पश्चात	अवर न्यायालय में दोष सिद्धि के पश्चात
47.	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना	ईटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।	-	-	-

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं :-

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की निम्नलिखित योजनाएं हैं:-

(1) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.) केन्द्रीकृत रूप से प्रायोजित मार्गदर्शी योजना।

(2) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना।

(3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।

(4) मैला एवं सफाई व्यवसायों में लगे बच्चों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति।

(5) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च कोटि शिक्षा के लिए केन्द्रीय सेक्टर छात्रवृत्ति योजना।

(6) हाथों से सफाई करने के कार्य में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना।

(7) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।

(8) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा जैसे एम. फिल. और पी.एच.डी. करने के लिए "राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप" केन्द्रीय सेक्टर योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करना।

(9) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अजा) आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्तियां।

(10) निम्न साक्षरता स्तर से सम्बन्धित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की मेरिट का उन्नयन।

(11) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना।

(12) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए डा0 अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना।

(13) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचार पीड़ितों के लिए डा0 अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना।

(14) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम।

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम निम्नवत् हैं :-

(1) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति।

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट डॉक्टोरल छात्रवृत्ति।

(3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर वैकल्पिक कोचिंग कक्षांए।

(4) राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा (एनईटी) की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कोचिंग कक्षाएं।

(5) नौकरी में प्रवेश पाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कोचिंग कक्षाएं।

(3) इन्दिरा आवास योजना :-

इन्दिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों, मुक्त बन्धुआ मजदूरों और गरीबी रेखा से नीचे के गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवास इकाई के निर्माण में सहायता/अनुदान प्रदान करना है।

(4) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :-

यह एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजना है जिसके अन्तर्गत ऐसे ग्रामीण/ अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जहां ऐसे परिवारों को सहायता दी जाती है जिसमें 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए।

(5) प्रधानमंत्री रोजगार योजना :-

यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवकों को उद्योगों में स्वरोजगार वेन्चर्स, सेवा बिजनेस सेक्टर स्थापित करने के लिए ऋण मुहैया करवाने के लिए तैयार की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 22.5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है।

(6) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना :-

यह योजना शहरी क्षेत्रों के लिए मुख्य गरीबी उपशमन योजना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की स्थायी जनसंख्या के अनुपात में इसका विस्तार किया जाना चाहिए।

(7) स्वच्छकारों की मुक्ति तथा पुनर्वास योजना :-

स्वच्छकारों और उनके आश्रितों को विद्यमान पैतृक हाथ से मैला साफ करने के घृणाजनक व्यवसाय से मुक्त कर वैकल्पिक सम्मानित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छकारों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना है। यह योजना शुरूआत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित सभी स्वच्छकारों पर लागू होगी। अन्य समुदायों से सम्बन्धित स्वच्छकार भी इससे सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं :-

(1) पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति वितरण योजना :-

अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु यह योजना संचालित है। योजनान्तर्गत पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के ऐसे छात्र जिनके अभिभावकों/माता-पिता की आय सीमा रू0 2.50 लाख तक एवं दशमोत्तर (अनुसूचित जाति) कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र जिनके अभिभावक/माता-पिता की आय सीमा रू0 2.50 लाख वार्षिक तथा दशमोत्तर (सामान्य वर्ग) कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र जिनके अभिभावक/माता-पिता की आय सीमा रू0 2.00 लाख वार्षिक तक होती है, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता एवं समयबद्धता लाने हेतु छात्रवृत्ति योजना को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

योजनान्तर्गत छात्रों द्वारा वेबपोर्टल http://scholarship.up.gov.in पद पर शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था है।

(2) पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों संचालन :-

समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावन छात्रों को उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क छात्रावास, पाठ्य पुस्तकें यूनिफार्म एवं खेल-कूद आदि की व्यवस्था भी राज्य सरकार करती है। **इन विद्यालयों में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 25 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रवेश की व्यवस्था है।**

बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक विद्यालय खोले गये है। विभाग द्वारा संचालित 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में से 45 सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध हैं एवं अवशेष 49 माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा सम्बद्ध है, जिन्हें सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्धता दिलाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में से 93 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में स्मार्ट व्यवस्था करा दी गयी है।

(3) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन :-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों के बच्चे प्रतिभावन, लगनशील तथा परिश्रमी होते हुए भी उचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित उचित पुस्तकों की जानकारी के अभाव में आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 एवं अन्य सिविल सेवाओं से सम्बन्धित आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अत्यन्त एवं उच्च कोटि के स्तर तथा अद्यतन परिवर्तित/परिवर्धित होने वाले पाठ्यक्रमों के अनुरूप विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रतिस्पर्धात्मक तैयारी के निमित्त कोचिंग केन्द्र माध्यम से उक्त वर्ग के अभ्यर्थियों को स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय रू0 6.00 लाख तक होती है, को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में सात पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः-

- **श्री छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, लखनऊ :-** इस केन्द्र की क्षमता 300 प्रशिक्षार्थियों की है, जिसमें 50 प्रतिशत पिछड़ी जाति, 45 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 05 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी होते है।

- **आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (बालिका) अलीगंज, लखनऊ :-** इस केन्द्र की क्षमता 150 प्रशिक्षार्थियों की है, जिसमें 50 प्रतिशत पिछड़ी जाति, 45 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 05 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी होते है।
- **न्यायिक सेवा पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, प्रयागराज :-** इस केन्द्र की क्षमता 50 अभ्यर्थियों की है, जो अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु संचालित है।
- **सन्त रविदास आई0ए0एस0 / पी0सी0एस0 पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, वाराणसी :-** इस केन्द्र की क्षमता 100 प्रशिक्षार्थियों की है, जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हेतु संचालित है।
- **डा0 बी0आर0 अम्बेडकर आई0ए0एस0 / पी0सी0एस0 पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगढ़ :-** इस केन्द्र की क्षमता 200 प्रशिक्षार्थियों की है, जो अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु संचालित है।
- **डा0 बी0आर0 अम्बेडकर आई0ए0एस0 / पी0सी0एस0 पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा :-** इस केन्द्र की क्षमता 200 प्रशिक्षार्थियों की है, जो अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु संचालित है।
- **आई0ए0एस0 / पी0सी0एस0 कोचिंग केन्द्र, निजामपुर, हापुड :-** इस केन्द्र की क्षमता 200 (120 बालक, 80 बालिका) प्रशिक्षार्थियों की है, जो अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु संचालित है।

(4) अनुसूचित जाति / सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना :-

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति / सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना संचालित है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 56,460/- तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080/- होती है एवं वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष हो, पात्र होते है। शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व एवं 90 दिन पश्चात् तक वेबपोर्टल http://www. shadianudan.upsdc.gov.in पद पर ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था है। पात्र आवेदक के बैंक खाते में रू0 20,000/- की अनुदान राशि सीधे अन्तरित की जाती हैं।

(5) प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा राजकीय औद्योगिक आस्थानों का संचालन :-

प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा 09 जनपदों रामपुर, गाजीपुर, फतेहपुर, हरदोई, रानोपाली (अयोध्या), कालपी (जालौन), मुजफ्फरनगर, रामनगर (वाराणसी) एवं बदायूं में औद्योगिक आस्थान संचालित है।

(6) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन :-

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 4,13,57,608 है। इन जातियों के प्रति सामान्य अस्पृश्यता / छुआछूत की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं में न्यूनतम रू0 85,000/- से अधिकतम रू0 8.25 लाख की आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

(7) आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन :-

प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त जाति के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना की गयी है इन विद्यालयों में दलित वर्ग के ऐसे परिवार जो अपने बच्चों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते तथा अत्यन्त निर्धन है, के बच्चों को प्रवेश मिलता है। विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, वस्त्र, भोजन आदि सुविधायें राजकीय व्यय पर प्रदान की जाती है।

(8) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन :-

अपने घर से दूर रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की आवासीय समस्या के निदान हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावासों का निर्माण कराया जाता है। इन छात्रावासों में छात्रों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था, फर्नीचर, विद्युत की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। भोजन बनाने के लिए रसोईया, कहार तथा सफाई के लिए स्वच्छकार की व्यवस्था शासकीय व्यय पर की जाती है परन्तु भोजन आदि पर आने वाला व्यय छात्रों को स्वंय वहन करना होता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा कुल 252 छात्रावास निर्मित कराये गये है।

(9) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना :-

निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लघु एंव सीमान्त कृषकों के खेतों में बोरिंग कराई जाती है।

प्रमुख सम्पर्क माध्यमों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	दूरभाष कार्यालय	फैक्स	ई–मेल	सी.यू.जी. नम्बर
1	अपर मुख्य सचिव (गृह) उत्तर प्रदेश शासन	2289291 2226091 2226092	2237410	pshomelko@gmail.com	9454405001
2	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन	2237965	2237163	psswd2020gmail.com	–
3	पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश	2390240 2724003	2724009	police.up@nic.in	9454400101
4	पुलिस महानिदेशक विशेष जाँच उत्तर प्रदेश	2390251 2721616	2724041	splenq@up.nic.in	9454400115
5	निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ	2209259	2209275	director.sw@ dirsamajkalyan.in	8004925280
6	सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनु0जाति आयोग 5वीं मंजिल, केन्द्रीय भवन सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ	4073902 2330288 2323860	2323860	khanna.tarun15@gmail.com	9455004893
7	होम कन्ट्रोल रूम	2239295 2238999 2239279	2238409	shome@nic.in	–
8	डी.जी.पी., कन्ट्रोल रूम	2390257	2390258	dgpcontrol-up@ up.nic.in	9454402508 9454402509 9454402510
9	डी.जी., विशेष जाँच कन्ट्रोल रूम	2390251	2724041	splenq@up.nic.in	9454402553
10	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली	011–24606802 24635721 24620435	011–24694743 24632298 24690334	chairperson@ ncsc.nic.in	–
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली	011–24635721	011-24624628	chairperson@ ncst.nic.in	–
12	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, 14, न्यू ए.जी.ए को-आपरेटिव कालोनी, कदरू, रांची, झारखण्ड	0651-2341677	0561-2340368	ro-ranchi@ncst.nic.in	–
13	उ0प्र0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, 10वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ	2287231	2287217	upscst.in	–

विशेष जाँच मुख्यालय के सम्पर्क माध्यमों का विवरण

क्र.स.	अधिकारी पद	दूरभाष/सी0यू0जी0 नम्बर	
		कार्यालय	सी0यू0जी0
1	पुलिस महानिदेशक/ अपर पुलिस महानिदेशक	2390251 2721616	9454400115
2	पुलिस महानिरीक्षक	-	9454400185
3	पुलिस उपमहानिरीक्षक	2724016	9454400240
4	पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)	2390539	9454400343
5	पुलिस अधीक्षक (प्रथम)	-	9454401809
6	पुलिस अधीक्षक (द्वितीय)	-	9454401204
7	अपर पुलिस अधीक्षक	-	9454401808
8	पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)	-	9454401810

विशेष जाँच मुख्यालय के अतिरिक्त सम्पर्क माध्यमों का विवरण

अपराध शाखा	9454401807
कार्यालय नम्बर	0522-2390251
फैक्स नम्बर	0522-2724041
नियन्त्रण कक्ष	0522-2724041
व्हाट्सएप	9454401808
ट्विटर	@UPPSpecialEnq
ई-मेल	splenq@up.nic.in
वेबसाइट	https://uppolice.gov.in

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा-4(2) के अन्तर्गत लोक सेवक के कर्तव्य

(क) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को, सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना।

(ख) इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना।

(ग) इस प्रकार अभिलिखित की गई सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत प्रदान करना।

(घ) पीड़ितों या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना।

(ङ) अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में साठ दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करना तथा विलंब, यदि कोई हो, लिखित में स्पष्ट करना।

(च) किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को सही रूप से तैयार, विरचित करना तथा उसका अनुवाद करना।

(छ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।